इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : 5वी मंजिल, ब्लॉक -2, प्लेट ए तथा बी, एनबीसीसी टॉवर
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली -110023
फोन : 91-11- 24662777 ; **फैक्स** : +91-11-20815125
सीआईएन नं.(CIN No) .: U67190DL2006GOI144520 ; **वेबसाइट** : www.iifcl.in

सीमित निविदा

(परिशिष्ट-क देखें)

निविदा संख्या बीएस-1/2024-25/ **दिनांक:** 15 अप्रैल 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की सचिवीय ऑडिट करने और सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट और सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव फर्म की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए तथा बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, भारत में है।

आईआईएफसीएल की स्थापना 2006 में भारत सरकार द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की योजना के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त को व्यवस्थित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। जो व्यापक तौर पर सिफटी (SIFTI) के रूप में संदर्भित हैं।

आईआईएफसीएल को सितंबर 2013 से (भारतीय रिजर्व बैंक) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-नॉन डिपॉजिट-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC-ND-IFC) के रूप में पंजीकृत किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ नियमों के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, आईआईएफसीएल को अपने बोर्ड की रिपोर्ट के साथ एक सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।

इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, आईआईएफसीएल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्दिष्ट फॉर्म में एक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होती है। स्वतंत्र प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों से सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

आईआईएफसीएल का इरादा सचिवीय ऑडिट करने के लिए एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म को नियुक्त करने और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी को सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट और सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने का है।

बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से 6 मई 2024 को शाम 4.00 बजे तक भारत सरकार के सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां होस्ट करनी होंगी। ऑनलाइन बोलियाँ जमा करना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी में बोलियां जमा करना आवश्यक नहीं है।

आईआईएफसीएल 7 मई 2024 को शाम 4.00 बजे ऑनलाइन तकनीकी बोलियां खोलेगा। निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर ऑनलाइन बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के बाद, ऑनलाइन वित्तीय बोलियां 8 मई 2024 को सुबह 11.00 बजे खोली जाएंगी।

1. कार्य का दायरा(क्षेत्र)

समझने और तत्काल संदर्भ के लिए कार्य का उदाहरणात्मक (लेकिन विस्तृत नहीं) दायरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

2. वैधानिक प्रावधानों के संशोधन के अनुसार संबंधित सेवाएँ

पीसीएस/पीसीएस फर्म कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी लिस्टिंग विनियमों और परिपत्रों/स्पष्टीकरणों के तहत कोई अतिरिक्त जानकारी/ दस्तावेज/ रिपोर्ट/ प्रमाणपत्र, / एमसीए/सेबी द्वारा जारी अधिसूचनाएं, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल में सचिवीय के संबंध में कोई अन्य लागू कानून, यदि कोई हो, अतिरिक्त आवश्यकता (इस निविदा के माध्यम से काम के आवंटन के बाद) प्रदान करेगी। ।

3. बोली जमा करने के लिए पात्रता मानदंड - तकनीकी योग्यता

3.1 प्रैक्टिस करने वाली सीएस फर्मों को **दिल्ली/नई दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए,** जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा **सहकर्मी समीक्षा के अधीन** हैं, जैसा कि 1 अप्रैल 2024 को आईसीएसआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जिनकी सदस्यता संख्या 1 - 5000 है (इस निविदा का परिशिष्ट क(ए) देखें)

3.2 प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म को पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान कम से कम 3 सीपीएसई/पीएसयू (बैंक या कंपनी)/सार्वजनिक एफआई का सचिवीय ऑडिट कार्य करना चाहिए।

3.3 प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म को किसी नियामक/वैधानिक निकाय या सरकारी इकाई या किसी अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित/अयोग्य/काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।

पीसीएस/पीसीएस फर्म को बोली जमा करने के लिए उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने का उल्लेख करते हुए **अनुलग्नक** II के रूप में संलग्न दस्तावेजी प्रमाण के साथ स्थिति प्रस्तुत करनी चाहिए।

नोट: आवश्यक दस्तावेजी सबूतों के बिना प्रस्तावों को मूल्यांकन के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

4. नियम एवं शर्तें :

4.1 सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन: सचिवीय लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार समयबद्ध तरीके से आयोजित/किया जाएगा और सचिवीय लेखापरीक्षा और सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। समय अनुबंध का सार है, यह अपेक्षा की जाती है कि सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार जल्द से जल्द प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.2 कंपनी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

4.3 आवेदक फर्म द्वारा उपरोक्त सभी जानकारी के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4.4 प्रस्ताव दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों पर आवेदक फर्म (फर्मों) द्वारा फर्म की मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और प्रस्ताव के साथ जमा किए गए दस्तावेजों को भी फर्म की मुहर के साथ आवेदक यानि कि फर्म (फर्मों) के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।.

4.5 कंपनी किसी भी या सभी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और किसी भी स्तर पर एक या अधिक आवेदकों से अतिरिक्त सबमिशन या स्पष्टीकरण का अनुरोध करने या बिना कोई कारण बताए अपने विवेक पर प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

4.6. **बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से 6 मई 2024 को शाम 4.00 बजे तक भारत सरकार के सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां होस्ट करनी होंगी। हार्ड कॉपी में बोलियां जमा करना आवश्यक नहीं है।**

आईआईएफसीएल नियत तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं करेगा।

आईआईएफसीएल 7 मई 2024 को शाम 4.00 बजे ऑनलाइन तकनीकी बोलियां खोलेगा। निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर ऑनलाइन बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के बाद, ऑनलाइन वित्तीय बोलियां 8 मई 2024 को सुबह 11.00 बजे खोली जाएंगी।

5. नियुक्ति पर फर्म(फर्मों) द्वारा अनुपालन/घोषणा/प्रमाणपत्र:

पीसीएस फर्म(फर्मों) को पीसीएस फर्म(फर्मों) के रूप में नियुक्ति पर, वैधानिक/कंपनी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं और प्रमाणपत्रों का पालन करना होगा और प्रस्तुत करना होगा:

5.1 पीसीएस फर्म सचिवीय लेखापरीक्षा कार्य का उप-ठेका नहीं देगी।

5.2 सचिवीय ऑडिट टीम पूरी गोपनीयता के साथ काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि स्थान/कार्य केंद्र/कंपनी के संचालन के संबंध में डेटा, विवरण और किसी भी अन्य जानकारी को सख्त गोपनीयता और गोपनीयता के साथ निपटाया जाए।

5.3 कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के तहत पीसीएस फर्म का कोई भी भागीदार कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक निदेशक से संबंधित नहीं होना चाहिए।

5.4 कंपनी के व्यवसाय में न तो पीसीएस फर्म और न ही उसके साझेदारों या सहयोगियों की कोई रुचि होनी चाहिए।

5.5 सचिवीय लेखापरीक्षकों को स्वतंत्रता और एक दूसरे से दूरी के संबंध का प्रमाण पत्र जारी करने और जमा करने की आवश्यकता होगी।

5.6 पीसीएस फर्म की यह सुनिश्चित करने की प्रमुख जिम्मेदारी होगी कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट अधिकतम ऑडिट सीमाओं का उल्लंघन न हो।

5.7 पीसीएस फर्म कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी अयोग्यता से मुक्त होगी।

6. बोलीदाताओं हेतु विनिर्देश

6.1 मूल्य बोली के अलावा कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

6.2 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रस्ताव जमा करने से पहले कार्य के दायरे/विनिर्देशों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर श्री अभिरूप सिंह, कंपनी सचिव से लैंडलाइन नंबर 011-24662689 या ई-मेल: abhirupsingh@iifcl.in पर दिया जा सकता है।

6.3 शुद्धिपत्र/परिशिष्ट सहित सभी निविदा दस्तावेज आईआईएफसीएल वेबसाइट **(www.iifcl.in)** और भारत सरकार के सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और बोली जमा करने के लिए निविदा दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

6.4 बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेजों में किसी भी तरह की ओवरराइटिंग/सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, यदि सुधार अपरिहार्य है, तो उस पर प्रतिहस्ताक्षरित और मुहर लगाई जानी चाहिए।

6.5 आईआईएफसीएल बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही, आईआईएफसीएल इस मामले में बोलीदाताओं के किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा

6.6 बोलीदाताओं को कार्य के पूर्ण दायरे के लिए उद्धरण देना आवश्यक है। कार्य के आंशिक अथवा किसी भी दृष्टि से अपूर्ण निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

.

7. अविचलन प्रमाणपत्र(नो डेविएशन सर्टिफिकेट)

7.1 पीसीएस/पीसीएस फर्म को निविदा के सभी नियम एवं शर्तें बिना शर्त स्वीकार करनी चाहिए। यदि कोई पीसीएस/पीसीएस फर्म निविदा शर्तों से विचलन करना चाहती है, तो ऐसे विचलन को नो डेविएशन सर्टिफिकेट - **अनुलग्नक** III में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि प्रस्तुत निविदा में कोई विचलन नहीं दिया गया है, तो यह माना जाएगा कि बोलीदाता निविदा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है।

7.2 आईआईएफसीएल द्वारा विचलन स्वीकार भी किया जा सकता है और नहीं भी। पीसीएस/पीसीएस फर्म के लिए आईआईएफसीएल द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी विचलन को सभी बोलीदाताओं तक बढ़ाया जा सकता है।

7.3 यदि आईआईएफसीएल द्वारा कोई विचलन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो पीसीएस/पीसीएस फर्म को इसे वापस लेना होगा, अन्यथा उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी और ऐसे मामले में किसी भी बोली लगाने वाले के पास ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई दावा नहीं होगा। इस पर आईआईएफसीएल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. स्व-घोषणा प्रमाणपत्र

बोली लगाने वाले को अनुबंध IV के अनुसार एक स्व-घोषणा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो प्रमाणित करता है कि आईआईएफसीएल को दी जा रही सचिवीय लेखापरीक्षा सेवाएं कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी लिस्टिंग विनियमों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों/स्पष्टीकरण/अधिसूचनाओं का अनुपालन करती हैं। सेबी, आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक, सचिवीय लेखापरीक्षा और उसमें किसी भी संशोधन सहित संबंधित गतिविधियों से संबंधित कोई अन्य कानून/नियम/आवश्यकता।

9. निषेध प्रावधान:

ऑडिट फर्म को भविष्य में आईआईएफसीएल का सचिवीय ऑडिट करने से रोक दिया जाएगा:

9.1 यदि पीसीएस फर्म झूठी सूचना/गलत विवरण के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करती है।

9.2 यदि पीसीएस फर्म नियुक्ति पत्र के संदर्भ में ऑडिट नहीं करती है।

9.3 यदि पीसीएस फर्म कंपनी के डेटा, स्टेटमेंट और किसी भी अन्य जानकारी की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखने/सम्मान करने में विफल रहती है।

9.4 यदि पीसीएस फर्म उपरोक्त खंड 4 में निर्धारित किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहती है।

10. बोलियों की अस्वीकृति

10.1 आईआईएफसीएल के पास किसी भी बोली/सभी बोलियों को विचलन के साथ या बिना स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बोली के आमंत्रण को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे मामले में बोली लगाने वाले के पास आईआईएफसीएल की ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई दावा नहीं होगा। बोली की स्वीकृति का अधिकार आईआईएफसीएल पर होगा, वह न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10.2 आईआईएफसीएल के पास किसी भी प्रशासनिक/आंतरिक कारणों से किसी भी स्तर पर निविदा रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है; जो भी हो और ऐसे मामले में बोली लगाने वाले/सफल बोली लगाने वाले के पास आईआईएफसीएल की ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई दावा नहीं होगा।

10.3 अनचाही बोलियाँ, ऐसी बोलियाँ जो अपूर्ण हैं या निर्दिष्ट प्रारूप में नहीं हैं या दोषपूर्ण हैं या जिनमें वास्तविक रूप से बदलाव किया गया है या निविदा शर्तों, विशिष्टताओं आदि के अनुसार नहीं हैं, अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

10.4 यदि कोई बोली लगाने वाला जो मालिक है, उसकी बोली जमा करने के बाद या उसकी बोली की स्वीकृति के बाद समाप्त हो जाती है, तो आईआईएफसीएल अपने विवेक पर ऐसी बोली को रद्द कर सकता है। यदि किसी फर्म का कोई भागीदार निविदा जमा करने के बाद या निविदा की स्वीकृति के बाद समाप्त हो जाता है, तो आईआईएफसीएल अपने विवेक पर ऐसी निविदा को रद्द कर सकता है, जब तक कि फर्म अपने गुणधर्म(चरित्र) को बरकरार नहीं रखती है।

10.5 यदि बोलीदाता जानबूझकर अपनी बोली में गलत जानकारी देता है, तो आईआईएफसीएल किसी भी स्तर पर ऐसी बोली को अस्वीकार करने या यदि अनुबंध दिया गया है तो उसे रद्द करने और अनुबंध के तहत देय किसी भी धनराशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10.6 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोलियों के संबंध में किसी भी रूप में प्रचार करने पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

10.7 यदि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के पीसीएस/मालिक या भागीदार का कोई रिश्तेदार या रिश्तेदार आईआईएफसीएल में कार्यरत है, तो निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को प्रस्ताव के साथ तथ्य की जानकारी दी जाएगी। ऐसा करने में विफल रहने पर, आईआईएफसीएल अपने विवेक से निविदा को अस्वीकार कर सकता है या अनुबंध रद्द कर सकता है।

10.8 उन बोलीदाताओं के प्रस्ताव जो निलंबित हैं और उन बोलीदाताओं के प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे, जो प्रतिबंधित फर्मों की सेवाएं लेते हैं।

11. मूल्य - वित्तीय भाव(कोट)

11.1 अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उद्धृत मूल्य स्थिर रहना चाहिए।

11.2 उद्धृत मूल्य जीएसटी (जैसा लागू हो) को छोड़कर सभी समावेशी होगा, जिसे अनुलग्नक - ख(वी) के रूप में संलग्न मूल्य में दिए गए कॉलम में अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

11.3 मूल्य पूरी तरह से **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न मूल्य बोली के अनुसार भरा जाना चाहिए। प्रोफार्मा में बदलाव की अनुमति नहीं है।

11.4 बोलीदाताओं को कार्य के संपूर्ण दायरे के लिए अनिवार्य रूप से उद्धरण देना आवश्यक है।

11.5 उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा न करने वाले प्रस्ताव अस्वीकृति के लिए मानहानि हैं।

12. अपूर्ण निविदाएं

12.1 अपूर्ण निविदाएं, जिनमें मांगी गई सभी जानकारी शामिल नहीं है या नियम और शर्तों के अनुसार बोली प्रस्तुत नहीं की गई है, अस्वीकार कर दी जाएंगी।

12.2 बोलियों के मूल्यांकन और/या अनुबंध देने के संबंध में आईआईएफसीएल का निर्णय अंतिम होगा।

13. निविदा को रद्द/निरस्त करना

आईआईएफसीएल के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा को रद्द/निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

14. अन्य संविदात्मक दायित्व

14.1 आईआईएफसीएल पर विषय कार्य के लिए विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों के संबंध में कोई भी दायित्व नहीं होगा। विक्रेता/सेवा प्रदाता कंपनी (आईआईएफसीएल) को विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा व्यक्तियों के रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाले या लगाए गए सभी नुकसान या क्षति या दायित्व के खिलाफ क्षतिपूर्ति देगा।

14.2 विक्रेता/सेवा प्रदाता या अन्य संबंधित अधिकारी सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियमों/विनियमों/स्थितियों का पालन करेगा।

14.3 निविदा को इस कार्य के लिए किए जाने वाले अनुबंध का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।

14.4 आईआईएफसीएल सफल बोलीदाता के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर संविदा का दायरा/अवधि दो साल की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

15. नवीनतम अद्यतन

निविदा के सभी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, संशोधन, समय विस्तार, पत्राचार, स्पष्टीकरण, परिवर्तन, इरेटा, संशोधन आदि केवल वेबसाइटों (www.iifcl.in और https://gem.gov.in/) पर होस्ट किए जाएंगे। अखबारों में नहीं। बोलीदाताओं को खुद को अपडेट(अद्यतित) रखने के लिए बोली जमा करने की तारीख तक नियमित रूप से वेबसाइटों को देखना चाहिए।

16. सत्यनिष्ठा समझौता

अनुलग्नक-VI के रूप में संलग्न सत्यनिष्ठा समझौता फर्म द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है।

सीमित निविदा

परिशिष्ट क(ए)

दिल्ली/नई दिल्ली में पंजीकृत प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सहकर्मी समीक्षा के अधीन हैं, जैसा कि 1 अप्रैल 2024 को आईसीएसआई की वेबसाइट पर दिखाया गया है, जिनकी सदस्यता संख्या 1 - 5000 **तक** है।

क्र.सं.	आईसीएसआई के डाटाबेस के अनुसार क्र.सं.	फर्म का नाम	साझेदारर/ सदस्य का नमा	शहर	समीक्षा-वर्ष	सदस्यता सं.
1	4103		CS Namo Narain Agarwal	New Delhi	2021-22	234
2	5126		CS Govind Ram Soni	New Delhi	2019-20	416
3	5199	A N Kukreja & Co.	CS Amar Nath Kukreja	New Delhi	2019-20	1070
4	2312	Subhash & Associates	CS Subhash Chander Hans	New Delhi	2022-23	1237
5	4864	Kapahi And Associates	CS Surrinder Kishore Kapahi	New Delhi	2019-20	1407
6	93	R. P. Sehgal & Associates	CS Raj Pal Sehgal	Delhi	2022-23	1468
7	1408	Sanjay Grover & Associates	CS Param Jeet Singh	New Delhi	2022-23	1486
8	4680	Jus & Associates	CS Ajay Kumar Jain	New Delhi	2020-21	1551
9	1563		CS Arvind Kumar Goyal	Delhi	2022-23	1565
10	4861	Akhil Rohatgi & Co.	CS Akhil Rohatgi	Delhi	2019-20	1600
11	4529	Balraj Sharma & Associates	CS Balraj Sharma	New Delhi	2020-21	1605
12	4195		CS Shiv Kumar Gupta	New Delhi	2020-21	1633
13	1500	Chandrasekaran Associates	CS S Chandrasekaran	Delhi	2022-23	1644
14	3329		CS Suchitta Koley	New Delhi	2021-22	1647
15	5606	Dr Associates	CS Suchitta Koley	New Delhi	2018-19	1647
16	4708		CS Sunita Mathur	New Delhi	2020-21	1743
17	604	R S Sharma & Associates	CS Randhir Singh Sharma	Delhi	2022-23	2062
18	3806	Siddiqui & Associates	CS Khalid Omar Siddiqui	New Delhi	2020-21	2229
19	286	SGS Associates LLP	CS Manikam Venkatesh Sreenivas	New Delhi	2022-23	2342
20	5086	R S M & Co.	CS Manikam Venkatesh Sreenivas	New Delhi	2018-19	2342
21	4828	Mohinder Kharbanda & Associates	CS Mohinder Paul Kharbanda	Delhi	2019-20	2365
22	77	S.K. Jolly & Associates	CS Surinder Kumar Jolly	New Delhi	2022-23	2373
23	285	Sgs Associates LLP	CS Damodar Prasad Gupta	New Delhi	2022-23	2411
24	4817	S G S Associates	CS Damodar Prasad Gupta	New Delhi	2019-20	2411
25	4495		CS Rupinder Singh Bhatia	New Delhi	2020-21	2599

26	4822	Nityanand Singh & Co.	CS Nityanand Singh	New Delhi	2019-20	2668
27	2506		CS Y J Basrar	Delhi	2022-23	2754
28	4231	A S & Associates	CS Anil Setia	Delhi	2020-21	2856
29	5384	Mahesh Gupta & Co.	CS Mahesh Kumar Gupta	Delhi	2018-19	2870
30	4414		CS Ashok Tyagi	New Delhi	2020-21	2968
31	1842		CS Subhash Chander Setia	New Delhi	2022-23	3019
32	5355	Neelam Gupta & Associates	CS Neelam Gupta	New Delhi	2018-19	3135
33	4336	Navneet K Arora & Co LLP	CS Navneet Arora	New Delhi	2020-21	3214
34	5194	Swaran Jain & Associates	CS Swaran Kumar Jain	New Delhi	2018-19	3236
35	2151	Nesar & Associates	CS Nesar Ahmad	New Delhi	2022-23	3360
36	3893	Ajay Baroota & Associates	CS Ajay Baroota	Delhi	2021-22	3495
37	4337	Navneet K Arora & Co LLP	CS Arvinder Singh Kindra	New Delhi	2020-21	3521
38	3882		CS Deepika Gera	New Delhi	2021-22	3531
39	2400		CS Varanasi Hari	Delhi	2022-23	3552
40	4089		CS Praveen Dua	New Delhi	2020-21	3573
41	4803		CS Baldev Singh Kashtwal	Delhi	2019-20	3616
42	5089	R S M & Co.	CS Baldev Singh Kashtwal	New Delhi	2018-19	3616
43	4512	Ava Associates	CS Vinod Kumar Gupta	Delhi	2020-21	3648
44	4501	A.G.G. & Associates	CS Amar Gopal Gambhir	New Delhi	2020-21	3668
45	1502	Chandrasekaran Associates	CS K S Ravichandran	Delhi	2022-23	3675
46	4728	N. K. Rastogi & Associates	CS Naveen Kumar Rastogi	Delhi	2020-21	3685
47	4158		CS Sanjay Chugh	New Delhi	2020-21	3754
48	4599	D. K. Agarwal & Associates	CS Dinesh Kumar Agarwal	Delhi	2020-21	3764
49	3896	S. Mani & Associates	CS Mani Srinivasan	Delhi	2021-22	3799
50	4338	Navneet K Arora & Co LLP	CS Raj Narayan Navik	New Delhi	2020-21	3857
51	3859	A. K. Verma & Co.	CS Ashok Kumar Verma	New Delhi	2020-21	3945
52	5171	J.K.Gupta & Associates	CS Jitesh Gupta	Delhi	2019-20	3978
53	4816	C. B. Mishra & Associates	CS Chandra Bhushan Mishra	New Delhi	2019-20	4006
54	3665	H. P. Sharma & Associates	CS Hari Prakash	Delhi	2021-22	4010
55	1409	Sanjay Grover & Associates	CS Kapil Dev Taneja	New Delhi	2022-23	4019
56	47	Sunil K Jain & Associates	CS Sunil Kumar Jain	Delhi	2022-23	4089
57	5381	Ashu Gupta & Co	CS Ashu Gupta	New Delhi	2018-19	4123
58	3812	Ashwini Kumar & Co.	CS Ashwini Kumar	Delhi	2021-22	4137
59	3215	Deepak Kukreja & Associates	CS Deepak Kukreja	New Delhi	2021-22	4140

60	5318	Dmk Associates	CS Deepak Kukreja	New Delhi	2018-19	4140
61	208	B S Goyal & Co.	CS Bhim Sain Goyal	New Delhi	2022-23	4204
62	2862	Shabnam Kapoor & Co.	CS Shabnam Kapoor	Delhi	2021-22	4258
63	5054		CS Naresh Chander Khanna	New Delhi	2019-20	4268
64	3229	P. K. Mishra & Associates	CS Pawan Kumar Mishra	New Delhi	2021-22	4305
65	2906	S. K. Agrawal & Co.	CS Sunil Kumar Agrawal	New Delhi	2021-22	4404
66	5087	R S M & Co.	CS Ravi Sharma	New Delhi	2018-19	4468
67	4488	Pi & Associates	CS Devesh Amubhai Pathak	New Delhi	2020-21	4559
68	2407	Ravi Chugh & Co.	CS Ravi Mohan Chugh	New Delhi	2022-23	4620
69	5196	Tarun Jain & Associates	CS Tarun Jain	Delhi	2018-19	4645
70	3746	P. Kathuria & Associates	CS Pradeep Kathuria	New Delhi	2020-21	4655
71	3371	Grover Ahuja & Associates	CS Poonam Ahuja	New Delhi	2021-22	4705
72	3423	Ga & Associates Company Secretaries LLP	CS Poonam Ahuja	New Delhi	2021-22	4705
73	4949	B. Samrish & Co.	CS Samrish Bhanja	Delhi	2019-20	4742
74	5506	Balika Sharma & Associates	CS Balika Sharma	New Delhi	2018-19	4816
75	4689	Mukesh Arora & Co.	CS Mukesh Arora	New Delhi	2020-21	4819
76	2804		CS Rajesh Gupta	New Delhi	2021-22	4870
77	5149	Dayal & Maur	CS Shailesh Dayal	New Delhi	2018-19	4897
78	4772	Kiran Sharma & Co.	CS Kiran Sharma	New Delhi	2019-20	4942
79	4767	P. P. Agarwal & Co.	CS Pramod Prasad Agarwal	New Delhi	2020-21	4955
80	3618		CS Maneesh Gupta	Delhi	2021-22	4982

अनुलगनक –I

कार्य का दायरा(क्षेत्र)

सचिवीय लेखापरीक्षा के व्यापक दायरे में निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन का सत्यापन शामिल है: -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए)/सेबी द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना/परिपत्र/स्पष्टीकरण और समय पर सचिवीय जारी करने की आवश्यकताओं के अनुसार आईआईएफसीएल का सचिवीय लेखापरीक्षा ऑडिट रिपोर्ट उसमें निहित प्रावधानों के अनुरूप है।

(ii) सेबी लिस्टिंग विनियमों और सेबी द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों/स्पष्टीकरणों की आवश्यकताओं के अनुसार सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करें।

(iii) प्रितभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के लागू प्रावधान:

   क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;

   ख) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

   ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; और

   घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) विनियम, 1996।

(vii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(viii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; और

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 एनबीएफसी पर लागू सीमा तक, उसके तहत बनाए गए नियम और विनियमन;

(x) कोई भी अन्य कानून/विनियम जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू हो सकते हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), आरबीआई अधिनियम और उसके तहत

बनाए गए नियम और आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार केवाईसी मानदंड आदि शामिल हैं।

(xi) कोई अन्य अधिनियम/कानून/विनियम जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू या अधिसूचित किया जा सकता है।

(xii) कोई अन्य विशिष्ट गतिविधि जो ऑडिट समिति/बोर्ड/नियामक/सरकार/आईआईएफसीएल प्रबंधन आदि द्वारा समय-समय पर सलाह दी जा सकती है।

अनुलग्नक II

(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म के लेटर हेड पर)

बोली के लिए प्रोफार्मा

सेवा में,
कंपनी सचिव
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL)
5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023

पात्रता मापदंड:

क्र.सं.	**पात्रता मानदंड**	**दस्तावेजी साक्ष्य के साथ स्थिति**
1.	प्रैक्टिस करने वाली सीएस फर्मों को दिल्ली/नई दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सहकर्मी समीक्षा के अधीन हैं, जैसा कि 1 अप्रैल 2024 को आईसीएसआई की वेबसाइट पर दिखाया गया है, जिनकी सदस्यता संख्या 1 - 5000 है (इस निविदा का परिशिष्ट क देखें)	
2.	प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म को पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान कम से कम 3 सीपीएसई/पीएसयू (बैंक या कंपनी)/सार्वजनिक एफआई का सचिवीय ऑडिट करना चाहिए।	
3.	प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म को किसी नियामक/वैधानिक निकाय या सरकारी संस्था या किसी अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित/अयोग्य/काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए।	

हस्ताक्षर ---------------

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं पद ---------------
सदस्यता संख्या --------------
पीसीएस फर्म की स्टैंप(मुहर) ---------------

स्थान:
तारीख:

अनुलग्नक –III

(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म के लेटर हेड पर)

अविचलन प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने निविदा संख्या ___ दिनांक ____ के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

हमारी बोली में उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, हम उपरोक्त निविदा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों की पुष्टि कर रहा है। हम एतद्द्वारा वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमने सेवाओं के दायरे को ठीक से समझ लिया है और इस निविदा में उल्लिखित कार्य को पूरा करेंगे।

या

हम निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त निविदा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं:

1.

2.

3.

नोट: आईआईएफसीएल द्वारा विचलन स्वीकार भी किया जा सकता है और नहीं भी

साथ ही, यह भी पुष्टि की जाती है कि विचलन, यदि कोई हो, केवल इसी प्रारूप में दर्शाया गया है और प्रस्ताव में कहीं और नहीं।

हस्ताक्षर ---------------

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम------------

सदस्यता संख्या --------------
पीसीएस फर्म की मोहर------------

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक –IV

(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म के लेटर हेड पर)

स्व-घोषणा प्रमाणपत्र

हम, ______________________________ (पीसीएस/पीसीएस फर्म का नाम) एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

क) पीसीएस/पीसीएस फर्म कंपनी सचिव अधिनियम, 1980, उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों/मानकों और फर्म या किसी अन्य प्रासंगिक क़ानून के लिए आईसीएसआई द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत नियुक्ति के लिए पात्र है और नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

ख) पीसीएस/पीसीएस फर्म पीयर रिव्यूड है और इस संबंध में आईसीएसआई के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हम कंपनी अधिनियम 2013, एमसीए परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, सेबी लिस्टिंग विनियमों, सेबी दिशानिर्देशों/परिपत्रों, आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों, सचिवीय लेखापरीक्षा और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने से संबंधित किसी भी अन्य कानून/नियम/आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

हस्ताक्षर ---------------

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम------------

सदस्यता संख्या --------------
पीसीएस फर्म की मोहर------------

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक V

(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म के लेटर हेड पर)

मूल्य बोली

सेवा में,

कंपनी सचिव
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL)
5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023

वित्तीय:

	विवरण/गतिविधि	**राशि (रु.)**
1.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए व्यावसायिक शुल्क अंकों और शब्दों में (अतरिक्त खर्च आदि सहित और जीएसटी को छोड़कर)।	
2.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए व्यावसायिक शुल्क अंकों और शब्दों में (अतरिक्त खर्च आदि सहित और जीएसटी को छोड़कर)।	
कुल राशि जीएसटी को छोड़कर सभी को मिलाकर (आंकड़ों में)		
जीएसटी@__% (रुपये में)		
जीएसटी सहित कुल राशि (आंकड़ों में)		
जीएसटी सहित कुल राशि (शब्दों में)		

हस्ताक्षर ---------------

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम------------

सदस्यता संख्या --------------

पीसीएस फर्म की मोहर------------

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक VI

सत्यनिष्ठा निविदा

के मध्य

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, कार्यालय ब्लॉक - 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर है। नई दिल्ली - 110023 (इसके बाद इसे "आईआईएफसीएल" या "प्रिंसिपल" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों, हस्तांतरितियों, नियुक्तियों और नव नियुक्तियों को शामिल माना जाएगा);

और

--------------------------------------, (एजेंसीफर्म) को इसके बाद "बोलीदाता/ठेकेदार" के रूप में जाना जाएगा / "सलाहकार/

प्रस्तावना

प्रिंसिपल, निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत, ________________________ के लिए निविदा प्रदान करने का इरादा रखता है। प्रिंसिपल भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाताओं और साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता / या ठेकेदारों / सलाहकारों के / पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स मॉनिटर") ("आईईएम") नियुक्त करेगा ") जो ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया औरनिविदा के निष्पादन की निगरानी करेगा।

धारा - 1प्रिंसिपल की प्रतिबद्धताएँ

प्रिंसिपल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है: -

प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, किसी अनुबंध के लिए निविदा या निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए किसी भी भौतिक या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। कानूनी तौर पर इसका हकदार नहीं है.

टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्कपूर्ण व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल, विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोली लगाने वाले को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोली लगाने वाला संबंधित लाभ प्राप्त कर सके। निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के लिए।

प्राचार्य सभी ज्ञात पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से बाहर कर देंगे।

यदि प्रिंसिपल को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। .

धारा - 2बोलीदाताओंठेकेदारों/सला/हकारों की प्रतिबद्धताएँ

बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल के किसी भी कर्मचारी को प्रस्ताव, वादा या कुछ नहीं देंगे। निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ बदले में प्राप्त करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी सामग्री या अन्य लाभ, जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

बोलीदाता/ठेकेदार/परामर्शदाता अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी अज्ञात समझौता या समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या न प्रस्तुत करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइजेशन शुरू करने के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; इसके अलावा, बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, या व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को दूसरों को नहीं देंगे। योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रसारित जानकारी शामिल है।

विदेशी मूल के बोलीदाताओं/ठेकेदारों/सलाहकारों को भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, के नाम और पते का खुलासा करना होगा। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता वाले बोलीदाताओं/ठेकेदारों/सलाहकारों को विदेशी मालिकों का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देशों में उल्लिखित अतिरिक्त विवरण बोलीदाताओं/ठेकेदारों/परामर्शदाताओं द्वारा प्रकट किए जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि दिशानिर्देशों में बताया गया है, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में होने चाहिए।

बोलीदाता/ठेकेदार/परामर्शदाता अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे, एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को इसके संबंध में प्रतिबद्ध हैं या करने का इरादा रखते हैं। अनुबंध का पुरस्कार.

बोलीदाता किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएंगे या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सफल बोलीदाताओं को आईईएम में मामले का प्रतिनिधित्व करते समय अदालतों का रुख नहीं करना होगा और वह मामले में उनके फैसले का इंतजार करेंगे।

धारा - 3 निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता एवं भविष्य से बाहर किये जाने वाले निविदा

यदि बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार ने पुरस्कार से पहले या निष्पादन के दौरान उपरोक्त धारा 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में कोई उल्लंघन किया है जैसे कि उनकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है, प्रिंसिपल को बोली लगाने वालों/ठेकेदारों/सलाहकारों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने का अधिकार है।

जीएफआर, 2017, पीसी अधिनियम, 1988 के मौजूदा प्रावधानों और अन्य वित्तीय नियमों/दिशानिर्देशों आदि के अनुसार, अखंडता समझौते का कोई भी उल्लंघन बोली लगाने वालों को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य के व्यापारिक लेनदेन से बाहर कर दिया जाएगा।

धारा 4 - क्षति के लिए मुआवजा

यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार परियोजना प्रदान करने से पहले बोलीदाताओं/ठेकेदारों/सलाहकारों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो जमा की गई बयाना राशि (ईएमडी)/बोली सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जाएगी। , प्रस्ताव के साथ, निविदा आमंत्रण की शर्तों के अनुसार, भी जब्त कर लिया जाएगा। बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार समझते हैं और सहमत हैं कि यह ठेकेदार/सलाहकार/बोली लगाने वाले की अयोग्यता और बहिष्कार के अतिरिक्त होगा, , उपरोक्त धारा 3 के संदर्भ में जो कि प्रिंसिपल द्वारा लगाया जा सकता है।
यदि परियोजना सौंपने के बाद किसी भी समय, प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या यदि प्रिंसिपल धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त करने का हकदार है, तो सलाहकार द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी, यदि कोई हो, तो एनआईटी/अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध की सामान्य/विशेष शर्तों के प्रासंगिक खंडों के तहत प्रिंसिपल को उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब्त कर लिया जाएगा।

धारा - 5 पिछला अपराध

बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 3 (तीन) वर्षों में भ्रष्टाचार-विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सकता है।

यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

धारा - 6 सभी बोलीदाताओंठेकेदारों/उपठेकेदारों/सलाहकारों के साथ समान व्यवहार/

बोली लगाने वाले/ठेकेदार/परामर्शदाता सभी उपठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे प्रिंसिपल को सौंपने का वचन देते हैं।

प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों/सलाहकारों और उप-ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ समझौते में प्रवेश करेगा।

प्रिंसिपल उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

धारा - 7 उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओंठेकेदारों/उपठेकेदारों/सलाहकारों के खिलाफ आपराधिक आरोप/

यदि प्रिंसिपल को किसी बोलीदाता, ठेकेदारसलाहकार(कों) या उपठेकेदार या कि/सी कर्मचारी या किसी प्रतिनिधि या किसी बोलीदाता, ठेकेदार सलाहकारउपठेकेदार के किसी सहयोगी के आचरण के बारे ओं) या) में जानकारी प्राप्त होती है जो भ्रष्टाचार बनता है, या यदि प्रिंसिपल ने इस संबंध में पर्याप्त संदेह होने पर प्रिंसिपल इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देंगे।

धारा - 8 संधि अवधि

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्ष इस पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं। यह अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 24 महीने बाद ठेकेदार के लिए समाप्त हो जाता है।

यदि इस दौरान कोई दावा किया/दर्ज किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस समझौते की समाप्ति के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि इसे आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक द्वारा निर्वहन/निर्धारित नहीं किया जाता है।

धारा - 9 स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा अनुमोदन के बाद प्रिंसिपल इस समझौते के लिए सक्षम और विश्वसनीय मॉनिटर की नियुक्ति करता है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करना है कि पार्टियां इस समझौते के तहत दायित्वों का अनुपालन करती हैं या नहीं और किस हद तक करती हैं।

मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को तटस्थ और स्वतंत्र रूप से करता है। जब भी आवश्यकता होगी मॉनिटर के पास सभी दस्तावेज़ों तक पहुंच होगी। बोलीदाताओं की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखना उसके लिए अनिवार्य होगा। वह एमडी/डीएमडी, आईआईएफसीएल को रिपोर्ट करता है।

बोलीदाता स्वीकार करता है कि मॉनिटर को बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए प्रिंसिपल के सभी प्रोजेक्ट/असाइनमेंट दस्तावेज़ों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचने का अधिकार है। बोलीदाता मॉनिटर को उसके अनुरोध और वैध रुचि प्रदर्शित करने पर, उनके प्रोजेक्ट/असाइनमेंट दस्तावेज़ीकरण तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच प्रदान करेगा।

मॉनिटर बोलीदाताओं की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत है। मॉनिटर ने 'गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने' और 'हितों के टकराव की अनुपस्थिति' पर घोषणाओं पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बाद की तारीख में उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव के मामले में, मॉनिटर एमडी/डीएमडी, आईआईएफसीएल को सूचित करेगा और खुद को उस मामले से अलग कर लेगा।

प्रिंसिपल मॉनिटर को प्रोजेक्ट/असाइनमेंट से संबंधित पक्षों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकें प्रिंसिपल और बोलीदाता के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव डाल सकती हों। पार्टियाँ मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करती हैं।

जैसे ही मॉनिटर इस समझौते के उल्लंघन को नोटिस करेगा, या नोटिस करने का विश्वास करेगा, वह प्रिंसिपल के एमडी/डीएमडी को सूचित करेगा और एमडी/डीएमडी से इसे बंद करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। मॉनिटर इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

मॉनिटर प्रिंसिपल द्वारा संदर्भ या सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एमडी/डीएमडी, आईआईएफसीएल को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, अवसर आने पर, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

किसी भी निविदा प्रक्रिया से या अनुबंध के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायतों से निपटने में वांछित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, मामले की जांच आईईएम के पूरे पैनल द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए, जो रिकॉर्ड को देखेगा, जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एमडी/डीएमडी आईआईएफसीएल को संयुक्त सिफारिशें।

यदि मॉनिटर ने एमडी/डीएमडी आईआईएफसीएल को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत किसी अपराध के पुख्ता संदेह की सूचना दी है, और एमडी/डीएमडी आईआईएफसीएल ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या इसकी सूचना नहीं दी है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, मॉनिटर यह जानकारी सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी भेज सकता है।

'मॉनिटर' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

वारंटी/गारंटी आदि जैसे मुद्दे आईईएम के कर्तव्यों के दायरे से बाहर होने चाहिए।

आईईएम द्वारा किसी भी कदाचार के मामले में, एमडी/डीएमडी को इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के ध्यान में लाना चाहिए और आयोग की ओर से उचित कार्रवाई के लिए विशिष्ट कदाचार का विवरण देना चाहिए।

यदि आवश्यक समझा जाए तो खरीद प्रणाली में पारदर्शिता, समता और निष्पक्षता लाने के लिए आईईएम संबंधित संगठन के प्रबंधन में प्रणालीगत सुधार का सुझाव दे सकते हैं।

संगठन के सीवीओ की भूमिका आईईएम की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगी। आईईएम द्वारा जांच किए जा रहे मामले की सीवीओ द्वारा सीवीसी अधिनियम या सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अलग से जांच की जा सकती है, यदि उसे कोई शिकायत प्राप्त होती है या आयोग द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है।

धारा - 10 अन्य प्रावधान

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन का स्थान और अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय, यानी नई दिल्ली है।

परिवर्तन और अनुपूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस भी लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। साइड समझौते नहीं किए गए हैं.

यदि बोलीदाता/ठेकेदार/सलाहकार एक साझेदारी, एक संयुक्त उद्यम या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उप-अनुबंध के मामले में, मुख्य ठेकेदार उप-ठेकेदार द्वारा इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) को अपनाने की जिम्मेदारी लेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी उप-ठेकेदार भी सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करें।

यदि इस समझौते का एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस समझौते का शेष भाग वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगी।

आईआईएफसीएल में सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किया है, जैसा कि विवरण अनुबंध VI (ए) में दिया गया है।

______________________________	______________________________
(प्रिंसिपल के लिए एवं उनकी ओर से)	(बोलीदाता/ठेकेदार सलाहकार के लिए एवं उनकी ओर से)
(कार्यालय की मुहर)	(कार्यालय की मुहर)

स्थान :______________________

दिनांक :______________________

गवाह -:1
(नाम पता)

____

____

गवाह -:2
(नाम पता)

____

____

अनुलग्नक VI(a)

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने आईआईएफसीएल में सत्यनिष्ठा सम्झौता को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) नियुक्त किए हैं और सभी अनुबंध दस्तावेजों तक उनकी पहुंच होगी:

श्री नाथू लाल मीना	श्री. विश्वपावन पति